



संख्या-18/2026/1-1233860/सा0-332/38-2-2025

38-2099-99-31-2021

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2026

विषय:- जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-परसरामपुर में आवासीय भवनों के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय अपने पत्रांक-605/मु0प्रा0प0/तएसप/सामु0वि0/2025-26, दिनांक 08 जुलाई, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-परसरामपुर में आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन रु0 592.29 लाख नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-36/2025/1-886096/सा0-109/38-2-2025, दिनांक 20 फरवरी, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-परसरामपुर में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए मुख्य प्राविधिक परीक्षक एपेक्स टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास उ0प्र0 द्वारा आंकलित लागत रु0 353.88 लाख (रूपये तीन करोड़ तिरपन लाख अट्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बस्ती के विकास खण्ड-परसरामपुर में आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-36/2025/1-886096/सा0-109/38-2-2025, दिनांक 20 फरवरी, 2025 द्वारा परियोजना की स्वीकृत लागत धनराशि रु0 353.88 लाख के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही कराने के साथ ही यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि परियोजना में प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रु0 50.00 लाख के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ कराया गया है अथवा नहीं।

भवदीय,

रजनीश चन्द्र

विशेष सचिव।

संख्या-18/2026/1-1233860/सा0-332/38-2-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, बस्ती।
- 5- नोडल अधिकारी/उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, बस्ती।
- 7- कोषाधिकारी, बस्ती।
- 8- जिला अर्थ एवं संख्या, अधिकारी, बस्ती।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
- 10- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, बस्ती।
- 11- ग्राम्य विकास अनुभाग-5
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से
चन्द्रिका प्रसाद
उपसचिव।